मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 1986

क्रमांक 14-23-85-एक-1-एफ.एफ.—राज्य शासन, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के गंभीर रोगों की चिकित्सा के लिये अनुदान हेतु निम्नलिखित नियम बनाता हैं, अर्थात् :—

नियम

1. (1) ये नियम मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम 1986 कहलायेंगे.

(2) ये नियम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लागू होंगे जो मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 के नियम 2 के खंड (ख) में परिभाषित किये गये हों।

2. सहायता अनुदान केवल उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही प्राप्त हो सकेगा जो कि निम्नलिखित गंभीर रोग से पीड़ित हों:—

(1) कैंसर.
(2) कृत्रिम अंग लगाया जाना आवश्यक हो.
(3) ओपन हार्ट सर्जरी आवश्यक हो.
(4) (गुर्दे) किडनी बदलना आवश्यक हो.

स्पष्टीकरण.—सहायता अनुदान केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही स्वीकृत किये जा सकेंगे. उनके परिवार के सदस्यों को इन नियमों के अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

3. अनुदान हेतु आवेदन-पत्र जिले के जिलाध्यक्ष के माध्यम से भेजे जायेगें. जिलाध्यक्ष स्थानीय सिविल सर्जन/चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रमाण-पत्र तथा जितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाना है, उसके लिये अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन-पत्र शासन को भेजेंगे.

4. जिलाध्ययक्ष की अनुशंसा पर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक को अनुदान स्वीकृत करने बाबत् अंतिम निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जायेगा.

5. स्वीकृत की जाने वाली अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) होगी.

6. अनुदान स्वीकृत करने अथवा न करने तथा अनुदान की राशि के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

7. प्रत्येक अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श लिया जावेगा तथा तत्संबंधी स्वीकृत वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार को पृष्ठांकित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एम. कुमार, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी कक्ष)

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 1986

क्रमांक 14-23/85-एक/1/एफ.एफ.,

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को गंभीर रोगों की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता बाबत्।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों को जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हों उन्हें उपचार हेतु रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) तक की आर्थिक सहायता दी जावे।

2. राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार सहायता राशि दिये जाने के संबंध में ''मध्यप्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986'' बनाए गए हैं। तथा उनका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 23-7-86 में किया गया है जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. उपरोक्त सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या-2-शीर्ष 288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-आयोजनेतर-ग-स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों उनके आश्रितों आदि को पेंशन, स्वतन्त्रता सैनानियों को भत्ते तथा उपदान, में प्रावधानित बजट राशि की बचत में से विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
(सुनीति देवी शर्मा)
अवर सचिव,

भोपाल, दिनांक 8-9-86

पृ. क्रमांक 14-23/85-एक/1/एफ. एफ.,

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म. प्र.।
3. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर।
4. संचालक, कोष एवं लेखा म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/-
(सुनीति देवी शर्मा)
अवर सचिव,